कार्यालयः महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा, चण्डीगढ।

सेवा में,

सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन,

क्रमांक 7027 टी0आई–4 दिनांक 24-4-2014

विषयः हरियाणा राज्य परिवहन के कर्मचारियों को सप्ताहिक विश्राम देने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 508-532/SA-III/ACC /2001 / दिनांक 01.02.2002 के द्वारा अन्य बिन्दूओं के अलावा चालकों/परिचालकों को सप्ताहिक विश्राम देने के बारे में निम्न हिदायतें जारी की गई थीः–

i) Ordinarily, all Drivers and Conductors should avail weekly rest. However, for smooth transit to the new system, for the time being they may be allowed to accumulate rests of one month subject to maximum limit of five days at a time.

ii) in case the rests are not exhausted within the calendar month, the same will lapse automatically. However, the General Managers may extend availing of the accumulated rests by about a week after the end of the calendar month in exceptional circumstances in the interest of working of the Haryana Roadways.

iii) If a weekly rest of a crew member lapsed due to mis-management on the part of Duty Inspector/Traffic Manager/General Manager, then the cash compensation to the extent of Rs. 100/- per day for the rest shall be recovered from the defaulting person and paid to the crew member. Further, if the rest lapsed due to another crew member being on unauthorised leave, then the amout shall be recovered from such absentee.

यह देखने में आया है कि चालकों/परिचालकों को साप्ताहिक विश्राम उक्त हिदायतों के अनुसार प्रदान नहीं दिया जा रहा है। चालकों/परिचालकों को साप्ताहिक विश्राम समय पर नहीं दिए जाने से उनके स्वास्थय पर विपरीत प्रभाव पडता है। इसके अतिरिक्त इससे सडक दुर्घटनाओं की संभावना भी बढती है। अतः सभी महाप्रबन्धकों को पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने आगार के चालकों/परिचालकों को साप्ताहिक विश्राम उपरोक्त हिदायतों के अनुसार प्रदान करना सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की उल्लंघना पाए जाने पर कार्य–निरीक्षक, यातायात प्रबन्धक व महाप्रबन्धक जिम्मेवार होंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि ऊपर पैरा नं0 iii) में वर्णित 100 रूपए की राशि तुरन्त प्रभाव से 500 रूपए मानी जाऐगी। उपरोक्त के बारे चालकों/परिचालकों समेत सभी सम्बन्धित को सूचित करवाया जाए।

Sd/- 24.4.14.

कृतेः महानिदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ।